(330)

(47)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक – एफ 5(3)नविवि/3/99–पार्ट

जयपुर दिनांक – 24/03/2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम–7ए व राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज राशि के ब्याज में निम्नानुसार छूट एतद्द्वारा प्रदान करती है :–

1. यदि लीज की बकाया राशि ही जमा करवाई जाती है तो देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. यदि वर्तमान बकाया लीज राशि के साथ–साथ आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि भी एक मुश्त जमा करवाई जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त छूट उन्ही प्रकरणों में देय होगी जिनमें दिनांक 30.04.2011 तक संबधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/आवासन मण्डल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा एवं दिनांक 30.06.2011 तक लीज राशि जमा करवा दी जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101100460 दिनांक 18.03.2011 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. शासन उप सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
13. रक्षित पत्रावली।

(76)

(परशुराम धियाणी)